GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
*****

S.No.PC-VI/270 | **RBE No.115/2011**

No.PC-VI/2010/I/RSRP/1 | **New Delhi, dated 16.08.2011**

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Subject: Applicability of minimum pay/stepping up of pay – clarification reg.

A reference has been received from one of the Railways mentioning a case where an employee working as Accounts Clerk was promoted as Junior Accounts Assistant (GP ₹2800) after 01.01.2006 and his pay was fixed as per Rule 13 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 by adding 3% of Basic Pay and Grade Pay. On a subsequent date another employee (Junior to him) was appointed as Junior Accounts Assistant (GP ₹2800) through Direct Recruitment and his pay was fixed under Section II of Part-A of First Schedule of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 which happened to be more than that of the above senior. A doubt has been raised whether stepping up of pay may be allowed in such cases to the senior employee who got promoted as Jr. Accounts Assistants (GP ₹2800) after 01.01.2006 vis-à-vis his junior who was directly recruited on a subsequent date as Junior Accounts Assistant (GP ₹2800) subject to fulfillment of conditions as laid down in Para 5 of Ministry of Railway's letter No.PC-VI/2010/I/RSRP/1 dated 17.02.2010.

2. The issue has been examined in consultation with Ministry of Finance and it is clarified that pay of Senior employee promoted to a post after 01.01.2006 may be stepped up vis-à-vis his junior who was directly recruited on a subsequent date to the same post subject to the condition that they belong to the same seniority list for all purposes and various conditions as laid down in Board's letter of even number dated 17.02.2010 are fulfilled.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(U.K. Tiwari)
Dy. Director, Pay Commission-VI
Railway Board.

No.PC-VI/2010/I/RSRP/1 | **New Delhi, dated 16.08.2011**

Copy (with 40 spares)) forwarded to ADAI(Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/270 **आरबीई सं. 115/2011**
सं. पीसी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2011**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: न्यूनतम वेतन/वेतन के स्टैपिंग अप को लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

एक रेलवे से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक ऐसे मामले का उल्लेख किया गया है जहां लेखा लिपिक के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी को 01.01.2006 के बाद कनिष्ठ लेखा सहायक (ग्रेड पे ₹ 2800) के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसके वेतन का निर्धारण मूल वेतन एवं ग्रेड पे के 3% को जोड़ते हुए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अनुसार किया गया था। बाद में एक अन्य कर्मचारी (उससे कनिष्ठ) को सीधी भर्ती के जरिए कनिष्ठ लेखा सहायक (ग्रेड पे ₹ 2800) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके वेतन का निर्धारण रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क के खंड-II के अंतर्गत किया गया था, जो उपर्युक्त वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो गया है। इस संबंध में, एक शंका व्यक्त की गई है कि यदि रेल मंत्रालय के दिनांक 17.02.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/1 के पैरा 5 में यथा निर्धारित शर्तें पूरी हो रही हों तो क्या वरिष्ठ कर्मचारी, जिसे 01.01.2006 के बाद कनिष्ठ लेखा सहायक (ग्रेड पे ₹ 2800) के रूप में पदोन्नत किया गया था, को अपने से कनिष्ठ कर्मचारी, जिसकी बाद में कनिष्ठ लेखा सहायक (ग्रेड पे ₹ 2800) के रूप में सीधी भर्ती की गई थी, की तुलना में ऐसे मामलों में वेतन के स्टैपिंग अप की अनुमति दी जाए।

2. इस मामले की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि 01.01.2006 के बाद पद पर पदोन्नत किए गए वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को अपने से कनिष्ठ कर्मचारी, जिसकी बाद में उसी पद पर सीधी भर्ती की गई थी, की तुलना में स्टेप-अप किया जाए, बशर्ते कि वे सभी प्रयोजनों के लिए एक ही वरिष्ठता सूची में हों और बोर्ड के दिनांक 17.02.2010 के समसंख्यक पत्र में यथा निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करते हों।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(यू.के. तिवारी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VI
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2011**

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

FINANCE-PC-VI